



# राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी  
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>  
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859  
फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 718 / SEIAA/2022

Date: 6/6/22

प्रति,

मेसर्स न्यू जय दाऊबाबा स्टोन केशर,

श्री सरदार सिंह गुर्जर आत्मज

श्री वृन्दावन सिंह,

निवासी-पारस विहार कालोनी, झॉसी रोड़ थाने के सामने, लश्कर,

जिला ग्वालियर (म.प्र.)

**विषय:- प्रकरण क्रमांक 8963/2022** - परियोजना प्रस्तावक मेसर्स न्यू जय दाऊबाबा स्टोन केशर, श्री सरदार सिंह गुर्जर आत्मज श्री वृन्दावन सिंह, निवासी-पारस विहार कालोनी, झॉसी रोड़ थाने के सामने, लश्कर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 2724/मिन-2, 2725, 2729, 2730, 2728/मिन-2, रकबा 2.603 हेक्टेयर, ग्राम बिलौआ, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

प्रकरण में SEAC की 570 वी बैठक दिनांक 11.05.2022 में उक्त प्रकरण में पूर्व में जारी ToR में संशोधन हेतु अनुसंशा को मान्य करते हुये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण SEIAA की 727 वी बैठक दिनांक 26.05.2022 में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक कि सेक की 549वीं बैठक दिनांक 15/02/22 में इसका प्रस्तुतीकरण हुआ 60,000 घनमीटर/वर्ष की उत्पादन क्षमता के लिए हुआ था किंतु लिपिकीय त्रुटिवश अनुसंशा 6,000 घनमीटर/वर्ष हो गई तथा इसी आधार पर सिया द्वारा जारी टॉर 6,000 घनमीटर/वर्ष हेतु जारी कर दिया गया है। मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों में उत्पादन क्षमता 60,000 घनमीटर/वर्ष दर्शाई गई है। अतः उनके द्वारा टॉर संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा यह पाया कि लिपिकीय त्रुटिवश गलत मात्रा टंकित हो गई थी। अतः समिति अपनी 549वीं बैठक दिनांक 15/02/2022 में टॉर हेतु अनुसंशित स्टोन-6,000 घनमीटर/वर्ष के स्थान पर स्टोन-60,000 घनमीटर/वर्ष किये जाने हेतु संशोधित टॉर जारी करने की अनुसंशा करती है, शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से SEAC की अनुसंशा को मान्य करते हुए प्रकरण में पूर्व में सिया द्वारा जारी ToR पत्र क्र. 3351 दिनांक 17.03.2022 में अनुसंशित उत्पादन क्षमता स्टोन-6,000 घनमीटर/वर्ष के स्थान पर उत्पादन क्षमता स्टोन-60,000 घनमीटर/वर्ष किये जाने एवं शेष शर्तों को यथावत रखते हुये संशोधित ToR पत्र जारी किया जाये। परियोजना प्रस्तावक एवं सर्व संबंधितों को सूचनार्थ।


उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण में पूर्व में सिया द्वारा जारी ToR पत्र क्र. 3351 दिनांक 17.03.2022 में अनुसंशित उत्पादन क्षमता स्टोन-6,000 घनमीटर/वर्ष के स्थान पर उत्पादन क्षमता स्टोन-60,000 घनमीटर/वर्ष पढ़ा जाये। ToR की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

  
(श्रीमिन् शुक्ला)  
सदस्य सचिव

पु.क्र. 719 /SEIAA/2022  
प्रतिलिपि:-

दिनांक - 6/6/22

1. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
2. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भूतल सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल

  
(आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी